आखिरी जांच: 5 अक्टूबर 2026 · Directorate of Women and Child Development, Social Justice and Empowerment Department, Government of Himachal Pradesh

# Indira Gandhi Sukh Suraksha Yojana

हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मी बेटियों के लिए जमा राशि बनाती है। यह 30 मार्च 2026 की अधिसूचना से आई है, जिसने 2010 की पिछली अधिसूचना की जगह ली।

### क्या मिल सकता है

हर पात्र बेटी के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में जन्मी हो, एक जमा राशि बनाई जाती है, ताकि बेटी को पालने का खर्च परिवार पर बोझ न बने। योजना के पेज पर जमा की जाने वाली रकम नहीं दी गई है।

### किसके लिए है

हिमाचल प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, उनकी पहली या दूसरी बेटी के लिए।

### मुख्य शर्तें

- परिवार राज्य के नियमों के अनुसार बीपीएल हो और हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो
- बेटी परिवार की पहली या दूसरी बेटी हो; केवल दो बेटियों को लाभ मिलता है

### स्थिति

चालू

**आधिकारिक स्रोत:** https://wcd.hp.gov.in/schemes?schemeId=30
**आधिकारिक आवेदन:** https://wcd.hp.gov.in/schemes?schemeId=30
**Labh Lo पेज:** https://labhlo.in/hi/schemes/himachal-pradesh/hp-indira-gandhi-sukh-suraksha/

**Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।**
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।